

## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. १३८२-II | १५

जिला- मुरादाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

१३-८-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p><i>(Signature)</i> (एम.कौरिंग) सदस्य</p>
---------	--



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यरेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

32018 1352-II-15

८१ श्रीमूर्ति मालती स्पान्डेयपत्नी रामसरत पाण्डेय <sup>३</sup> भृगुलाल हुत बोधकप्रभाद् (हे  
निवासी ग्राम-परसिया थाना ताला, तहसील अमरपाटन पांड्य )  
जिला-सतना म.प्र.

पिरुद्ध

## भीष्म प्रसाद मिश्र पुत्र श्री महावीर प्रसाद मिश्र मृत द्वारा विधिक उत्तराधिकारी

1. विष्णु गोपाल मिश्र
  2. कमलेश्वर 3. मदन गोपाल मिश्र
  4. किशोरी गोपाल मिश्र
  5. बालगोपाल मिश्र
  6. रमा मिश्रा

ନିର୍ବାଚି ପ୍ରାମ - ପକ୍ଷପତ୍ର ଧାନ୍ ଲାଲ୍ ହେ - ଅଭ୍ୟାସନ ମିଳ - ୩୮

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-९ के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम-३२ के अधीन आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है—

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक—आर1032—दो/2012 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26-03-2015 को नियत था।

2. यह कि, नियत दिनांक 26-03-2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 26-03-2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पेरवी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई माह के तीसरे सप्ताह में खारीज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चलाया करने पर हुयी जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक—आर 1. 1032—दो/2002 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण—दोषों पर सुनवायी किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

इति दिनांकः ३०/०८/२०१५

आवेदकरण

द्वारा अधिवक्ता  
एस.के. वाजपेयी